न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर

अपील संख्या 60/2019

हेमराज पुत्र सुवा जाति रेबारी उम्र 62 साल पेशा काश्त निवासी ग्राम लहसोडा तहसील व जिला सवाई माधोपुर

अपीलांट

बनाम

सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार सवाई माधोपुर जिला सवाई माधोपुर

रेस्पोटेंड

(अपील विरूद्व निर्णय न्यायालय उप जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर मु0न0 59/17 निर्णय दिनांक 15.7.19)

उपस्थित अभिभाषक

1. अपीलांट की और से श्री एस.एस.गुप्ता
2. रेस्पोडेंट की और से राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांक 31.01.2020

अपील विरूद्व निर्णय न्यायालय उप जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर के मु0न0 59/17 निर्णय दिनांक 15.7.19 के विरूद्व पेश की गई है। अपील के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार से है कि अधिनस्थ न्यायालय में अपीलांट/वादी ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट इस आशय का पेश किया कि ग्राम लहसोडा मे स्थित साबिक ख0न0 106 मे से मिन न0 106/2 रकबा 1 बीघा 2 विस्व पर देरीना कब्जा काश्त होनें के कारण वादी ने नियमन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था। आवेदन पत्र को नायब तहसीलदार द्वारा नियमय की सिफारिश करते हुए दिनांक 9.10.77 को आवंटन सलाहकार समिति की बैठक होने पर सरकार ने यह भूमि वादी के पक्ष मे दिनांक 18.7.78 को नियमन की थी। जिसका नियमन आदेश उप जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर के कार्यालय से दिनांक 18.7.78 को जारी हुआ था। वादी/अपीलांट के खिलाफ अतिक्रमण की रिपोर्ट तथा पटवारी व नायब तहसीलदार के नियमन की रिफारिश मे वादी का सही नाम हेमराज पुत्र सुवा रेबारी ही दर्ज किया था लेकिन नियमन आदेश मे वादी के पिता का नाम गलती से सुवा के स्थान पर पून्या दर्ज हो गया। जो कि यह गलत स्लीप ऑफ पेन के कारण हुई है। वादी पढा लिखा नही होने के कारण वादी को इसकी जानकारी नही थी। इस कारण नियमन सलाहकार समिति के सदस्यो का इस त्रुटि पर ध्यान नही गया। नियमन आदेश मे वादी के पिता का नाम सुवा के स्थान पर पून्या दर्ज हो जाने के कारण गैर खातेदारी का नामा0 संख्या 77 भी वादी का नाम हेमराज पुत्र सुवा रेबारी के स्थान पर हेमराज पुत्र पून्या ही दर्ज हुआ और इसी प्रकार गैर खातेदारी से खातेदारी मे नामा0 व जमाबंदी मे भी सुवा के स्थान पर पून्या दर्ज होता चला गया। जिसकी वादी को कोई जानकारी नही थी। ग्राम लक्ष्मीपुरा के समस्त गांवो मे आज से करीब 15–16 वर्ष पूर्व सेटलमेंट सम्पन्न हो चुका है जिसमे उक्त भूमि

Scanned by CamScanner

मूल ख0न0 106 मिन के नवीन न0 274 रकबा 0.37 है0 बने है जिसमे भी पूर्व के रिकार्ड के अनुसार ही वादी का पिता पून्या ही दर्ज हुआ है। इस प्रकार राजस्व रिकार्ड मे वादी के पिता के नाम से हुई त्रुटि नियमन आदेश से अब तक लगातार चली आ रही है। वादी अनपढ व अशिक्षित होने के कारण उसे इस त्रुटि की जानकारी नही होने के कारण वादी सेटलमेंट के समय भी इस त्रुटि को दुरूस्त नही करा सका। वादी नियमन के पूर्व से ही लगातार इस भूमि पर काबिजं होकर आज दिन तक काश्त करता आया है। दिनांक 12.1.17 को वादी के.सी.सी. बनवाने तहसील से जमाबंदी की नकल बनाने वाले एल.आर.सी. पटवारी ने उसमें वादी के पिता का नाम सुवा के स्थान पर पून्या दर्ज होना बताया । जब जाकर वादी को इस बात की जानकारी हुई। इस गलत को शुद्व कराने को वादी द्वारा पटवारी से कहे जाने पर उनके द्वारा कई दिनो पर वादी को भरोसा दिलाते रहे परन्तु दिनांक 24.4.17 को वादी से कहा कि एस.डी.ओ. कोर्ट मे शुद्वि का दावा कर नाम शुद्व कराया जा सकता है। यही वाद कारण उत्पन्न होने पर वादी/अपीलांट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय मे वाद पत्र प्रस्तुत कर इस्तदुआ चाही गई कि भूमि वर्तमान ख0न0 274 रकबा 0.37 है0 ग्राम लक्ष्मीपुरा तहसील सवाई माधोपुर का वादी को खातेदार घोषित किया जावे। तथा राजस्व रिकार्ड जमाबंदी वगै0 मे दुरूस्त करते हुए उसमे दर्ज अशुद्व नाम हेमराज पुत्र पून्या रेबारी के स्थान पर शुद्व नाम हेमराज पुत्र सुवा रेबारी दर्ज किया जावे। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादी/अपीलांट का वाद पत्र खारिज किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेंटस को नोटिस जारी कर तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर बहस उभयपक्ष अभिभाषको की सुनी गई।

अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता ने बहस मीमो ऑफ अपील मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि एवं तथ्यो के विपरीत होनें से निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करने से पूर्व पत्रावली पर विधिवत गौर नही किया है एवं दस्तावेजी साक्ष्यो की तथा मौखिक साक्ष्यो की विवेचना नही की है। भूमि मूल साबिक ख0न0 106 के मिन न0 106/2 रकबा 1 बीघा 10 विस्वा वाके ग्राम लक्ष्मीपुरा तहसील सवाई माधोपुर पर अपीलांट का काफी पुराना कब्जा काश्त होने के कारण अपीलांट भूमिहीन काश्तकार होने से अपने पक्ष मे नियमन कराने की सन 1977 से सरकार से प्रार्थना कर रहा है। जिस पर पटवारी हल्का व नायब तहसीलदार ने आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष उक्त भूमि अपीलांट/वादी को नियमन करने हेतु सिफारिश की थी। जिस पर आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 18.7.78 को वादी/अपीलांट को नियमन की थी। वादी/अपीलांट के खिलाफ अतिक्रमण की रिपोर्ट तथा पटवारी व नायब तहसीलदार के नियमन की सिफारिश मे वादी का सही नाम हेमराज पुत्र सुवा रेबारी

Scanned by CamScanner

ही दर्ज किया था लेकिन नियमन आदेश मे अपीलांट/वादी के पिता का नाम गलती से सुवा के स्थान पर पून्या दर्ज हो गया। जो यह गलत स्लिप ऑफ पेन है। अपीलांट पढा लिखा नही होने के कारण इसकी जानकारी नही हो सकी तथा उपजिलाधीश एवं आवंटन /नियमन सलाहकार समिति के सदस्यो को भी इस त्रुटि पर समय पर ध्यान नही गया। नियमन आदेश मे वादी के पिता का नाम सुवा के स्थान पर पून्या दर्ज हो जाने के कारण गैर खातेदारी का नामा0 संख्या 77 भी अपीलांट का नाम हेमराज पुत्र सुवा रेबारी के स्थान पर हेमराज पुत्र पून्या दर्ज हुआ और इसी प्रकार गैर खातेदारी से खातेदारी के नामा0 जमाबंदी रिकार्ड मे भी सुवा के स्थान पर पून्या ही दर्ज होता चला गया। जिसकी अपीलांट को जानकारी नही थी। अपीलांट अनपढ होने के कारण इस त्रुटि की जानकारी नही होने के कारण अपीलांट सेटलमेंट के समय भी इस त्रुटि का दुरूस्त नही करा सका। अपीलांट नियमन से पूर्व से ही इस भूमि पर काबिज होकर आज तक काश्त करता चला आ रहा है। ग्राम लहसोडा व लक्ष्मीपुरा मे हेमराज पुत्र पून्या रेबारी नाम का कोई व्यक्ति आज दिन तक नही रहा है। बल्कि शुरू से ही अपीलांट हेमराज पुत्र सुवा रेबारी ही रहता आया है तथा उसे ही ग्राम लहसोडा से लगते हुए ग्राम लक्ष्मीपुरा मे भूमि का नियमन हुआ है। नियमन सिफारिश व अतिक्रमण रिपोर्ट मे भी अपीलांट का सही नाम हेमराज पुत्र सुवा रेबारी ही दर्ज है। उक्त गलत नियमन आदेश तैयार करते समय तैयारकर्ता की रही है जिसके कारण यह गलती लगातार चली आ रही है। अधिनस्थ न्यायालय ने इस बात पर कोई ध्यान नही दिया। अपीलांट/वादी द्वारा वाद पत्र के समर्थन मे मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य पेश किये थे जिस पर अधिनस्थ न्यायालय ने ध्यान नही दिया। अधिनस्थ न्यायालय मे वादी/अपीलांट द्वारा कुल 1 लगायंत 19 प्रदर्श कराये थे जिस पर भी अधिनस्थ न्यायालय ने ध्यान नही दिया है। उक्त समस्त दस्तावेजात वादी/अपीलांट के पक्ष के थे सभी मे वादी/अपीलांट के पिता का नाम सुवा होना ही सही बताया गया है। तहसीलदार ने अपनी तथ्यात्मक रिपोर्ट मे वादी/अपीलांट के पिता का नाम सुवा होना माना है। इस प्रकार वादी का वादपत्र पूर्णतया साबित था। अपीलांट/वादी का वाद पत्र सुदढ सबूतो से समर्थित होते हुए भी गलत एवं नाजायज रूप से खारिज किया है। तथा यह मानकर कि वादी का वाद पत्र 39 साल वाद प्रस्तुत हुआ है। जो कि वारह साल से अधिक होने के कारण मियाद मे नही होने से पोषणीय नही है। जबकि अपीलांट द्वारा दावा पूर्व मे पेश नही करने का कारण स्पष्ट किया है। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा गौर नही किया गया है। जबकि घोषणा का दावा उचित आधारो पर एवं जानकारी के आधार पर किसी भी समय प्रस्तत किया जा सकता है। इन विधिक बिन्दुओं को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा गौर नही किया गया है। इस प्रकार अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अपास्त फरमाया जाकर वाद पत्र मे चाहा गया अनुतोष वादी के पक्ष मे प्रदान फरमाया जावे।

31.1.20
अधिकारी

Scanned by CamScanner

रेस्पो0 के विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने बहस अपील मे बताया कि नियमन आदेश दिनांक 18.7.78 हेमराज पुत्र पून्या रेबारी के नाम से हुआ है। अपीलांट/वादी स्वंय को हेमराज पुत्र सुवा रेवारी की घोषणा हेतु वाद प्रस्तुत किया है। अपीलांट/वादी ने सन 1978 की त्रुटि की दुरूस्ती हेतु वाद पत्र अधिनस्थ न्यायालय मे 39 वर्ष पश्चात पेश किया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा घोषणा हेतु वाद पत्र की मियाद 12 वर्ष से अधिक हो जाने के कारण ही विधि अनुरूप वाद पत्र खारिज किया है। अपीलांट/वादी को नियमन के समय नियमन के आदेश एवं उसकी पालना मे तस्दीक किये गये गैर खातेदारी से खातेदारी के नामा0 संख्या 77 दिनांक 2.1.79 के आधार पर राजस्व अभिलेख की जानकारी थी। इस प्रकार 39 वर्ष पश्चात अपीलांट/वादी द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत किया जाना संदेहास्पद प्रतीत होने पर ही अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट/वादी का वाद पत्र विधि अनुरूप खारिज किया है। जिसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागणो द्वारा बहस मे प्रस्तुत तर्को पर मनन करने एवं पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन करने पर यह तथ्य सामने आये कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट/वादी का वाद पत्र 39 वर्ष बाद प्रस्तुत करने के आधार पर खारिज किया गया है। वादी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद आराजी के नियमन के समय पिता के नाम की अशुद्धि से संबंधित है। जिसके बारे मे अधिनस्थ न्यायालय को वादी/अपीलांट को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित करना चाहिए था। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा केवल मात्र वाद पत्र को मियाद बाहर माना जाकर ही वादी/अपीलांट का वाद पत्र खारिज किया है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश अपूर्ण निर्णय की श्रेणी मे आता है। अतः प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को अपीलांट/वादी को साक्ष्य सुनवांई का अवसर दिये जाने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड सवांई माधोपुर के प्रकरण 59/17 निर्णय दिनांक 15.7.19 को निरस्त किया जाता है। प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर को प्रतिप्रेषित किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि अपीलांट/वादी को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष को पाबन्द किया जाता है कि वे अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर के यहॉ दिनांक 27.2.2020 को उपस्थित होवे।

निर्णय आज दिनांक 31.01.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील अधिकारी
सवाई माधोपुर

(बी0एल0रमण)
राजस्व अपील प्राधिकारी

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2020.02.27 14:41:38 IST
Reason: SelfAttested
Location: